न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–81/2021

बुनेला यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तुलसी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.12.2024	वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.08.2024 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से दिनांक 14.08.2024 को आदेश 01 नियम 10(2) तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा वादपत्र के मद सं0–03 की भूमि पर स्वत्व अधिकार एवं दखल कब्जा की घोषणा एवं वादपत्र के मद सं0–04 की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध गसबन को खाली कराने तथा प्रतिवादी सं0–01 की पत्नी सिमरिखिया देवी के नाम निर्गत बंदोबस्ती पर्चा वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में अवैध है तथा अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। सिमरिखिया देवी पूर्व में ही मर चुकी थी तथा उनके पति एवं पुत्र वाद में प्रतिवादीगण है। स्व0 सिमरिखिया देवी की पुत्री जगमातो देवी वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी के रूप में उनका नाम शामिल करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जगमातों देवी का नाम प्रतिवादीगण कॉलम में जोडने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 08.10.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून की दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। सिमरिखिया देवी पहले ही मर चुकी है लेकिन गलत तरीके से उनका नाम वाद में दिया गया है। उनके पति एवं पुत्र पक्षकार है तथा इनकी पुत्री को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–81/2021

बुनेला यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तुलसी साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.12.2024	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रस्तुत वाद में स्व0 सिमरिखिया देवी की पुत्री आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 14.08.2024 को स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित स्व0 सिमरिखिया देवी के पुत्री का नाम प्रतिवादी कॉलम में क्रमानुसार पक्षकार बनावें। वाद दिनांक 04.02.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	